

**कार्यालय नजारत अनुभाग, जनपद न्यायालय मऊ।**

**सूचना**

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि जनपद न्यायालय मऊ में वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु विभिन्न ठेकों की नीलामी कार्यवाही का सम्पादन माह मार्च 2024 व दिनांक 31.05.2024 को किया गया था। उक्त नीलामी की कार्यवाही में कुछ दुकानों की नीलामी नहीं हो पायी थी। अतः सर्वसाधारण को पुनः सूचित किया जाता है कि माननीय उच्च न्यायालय के पत्रांक 2472 / Admin(B-I) Section Dated 26, 2024 के पत्र में वर्णित Circular letter No.797/Admin(B-I), Dated 15-03-1994 के अनुपालन में माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय के आदेश दिनांक 29.07.2024 के अनुसार इस वित्तीय वर्ष 2024-25 में शेष अवधि (31.03.2025 तक) के लिए जनपद न्यायालय मऊ स्थित 1. स्टेशनरी दुकान, 2. जलपान दुकान न0 2, 3. पान की दुकान न0 1, 4. फलशर्बत दुकान न0. 1, व 5. चना टेला की दुकान, के ठेके को **बिड द्वारा** उठाये जाने के सम्बन्ध में दिनांक 30.08.2024 को सायं 5:00 बजे तक सीलबन्द प्रार्थना पत्र आमंत्रित है तथा दिनांक 31.08.2024 को दोपहर 01:30 बजे सभागार कक्ष, जनपद न्यायालय मऊ में उपर्युक्त ठेकों की बिड खोली जाएगी। बिड प्रस्तुत करने वाले आवेदक स्वयं उपस्थित रह सकते हैं। उनकी उपस्थिति/अनुपस्थिति में नियमानुसार बिड खोली जाएगी।

- |                         |                                    |
|-------------------------|------------------------------------|
| 1. स्टेशनरी दुकान       | (बतौर अग्रिम धनराशि 2000 /-रूपये)  |
| 2. जलपान दुकान न0 2,    | (बतौर अग्रिम धनराशि 15000 /-रूपये) |
| 3. पान की दुकान न0 1,   | (बतौर अग्रिम धनराशि 3000 /-रूपये)  |
| 4. फलशर्बत दुकान न0. 1, | (बतौर अग्रिम धनराशि 4000 /-रूपये)  |
| 5. चना टेला की दुकान,   | (बतौर अग्रिम धनराशि 1000 /-रूपये)  |

नीलामी हेतु बोली बोलने से पूर्व बोलीदाताओं को ठेके की बतौर अग्रिम धरोहर धनराशि नजारत अनुभाग, जनपद न्यायालय मऊ में जमा करनी होगी, जो बिड स्वीकार होने पर ठेके की राशि समायोजित हो जाएगी। अन्यथा अगले कार्यदिवस को वापस कर दी जाएगी। शेष नियम व शर्त किसी भी कार्यदिवस में केन्द्रीय नजारत अनुभाग के नोटिस बोर्ड पर या नजारत अनुभाग, जनपद न्यायालय मऊ से प्राप्त की जा सकती है।

(राजवीर सिंह)

सदस्य, दुकान नीलामी समिति/  
विशेष न्यायाधीश पॉक्सो कोर्ट सं0 1  
जनपद न्यायालय मऊ।

(हरेन्द्र प्रसाद)

सदस्य, दुकान नीलामी समिति/  
विशेष न्यायाधीश (एस.सी/एस.टी एक्ट)  
जनपद न्यायालय मऊ।

**प्रतिलिपि:-- निम्नलिखित को प्रकाशनार्थ एवं सूचना पटल पर लगाने हेतु प्रेषित।**

- 1- माननीय उच्च न्यायालय की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
- 2- जनपद न्यायालय, मऊ की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
- 3- सूचना अधिकारी को एक स्थानीय व एक राष्ट्रीय समाचार पत्र में निःशुल्क विज्ञापन कराये जाने हेतु।
- 4- जनपद न्यायालय के नोटिस बोर्ड पर।
- 5- विकास भवन के नोटिस बोर्ड पर।
- 6- कलेक्ट्रेट, मऊ के नोटिस बोर्ड पर।
- 7- तहसील, मऊ के नोटिस बोर्ड पर।
- 8- जिला पंचायत, मऊ के नोटिस बोर्ड पर।
- 9- नगर पालिका, मऊ के नोटिस बोर्ड पर।

(अशोक कुमार)

अध्यक्ष, दुकान नीलामी समिति/  
अपर जनपद न्यायाधीश कोर्ट सं.-1  
जनपद न्यायालय मऊ।

Seen

31.7.24

Distt. Judge  
Mau